<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर</u>

श्री कुल भारत, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष

आ. अ. सं. 352/ इंदौर /2017
निर्धारण वर्ष : 2012-13

श्रीमती मंजूश्री भंडारी, इंदौर	बनाम	प्रधान आयकर आयुक्त-I, इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एबीएनपीबी 6251 सी		

अपीलार्थी की ओर से	श्री गगन तिवारी, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री आशीष पोरवाल, आयकर आयुक्त विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	09.01.2020
उद्घोषणा तिथि	13.01.2020

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारिती द्वारा यह अपील विद्वान प्रधान आयकर आयुक्त-I, इंदौर द्वारा आयकर अधिनियम, 1963 की धारा 263 के अधीन पारित आदेश दिनांक 28.03.2017 के विरुद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधार पर दाखिल की गई है ।

2. सुनवाई के दौरान निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष आवेदन दिनांक 09.01.2020 दाखिल किया तथा निवेदन किया कि

अपीलार्थी इस प्रकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 263 के साथ पठित धारा 143 (3) के अधीन पारित पुनर्निर्धारण आदेश दिनांक 22.12.2017 के विरूद्ध आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दाखिल नियमित अपील के माध्यम से गुणागुण पर प्रतिवाद करने का इच्छुक है अतः वह अधिनियम की धारा 263 के अधीन विद्वान आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश दिनांक 28.03.2017 के विरूद्ध दाखिल वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नही है । अतः उन्होंने इस अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया । विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने निर्धारिती के अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 13.01.2020 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(कुल भारत)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 13.01.2020

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल